न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 270/2023

अनवान : –

1. सहदेव दत्तक पुत्र चेतराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. लाधुराम पुत्र मामचन्द उर्फ रामचन्द्र जाति जाट निवासी जबरासर तहसील नोहर।
   1/1. उमी देवी पत्नी लाधुराम जाति जाट निवासी जबरासर तहसील नोहर।
   1/2. विद्या देवी पुत्री लाधुराम जाति जाट निवासी जबरासर तहसील नोहर।
   1/3. मधू देवी पुत्री लाधुराम जाति जाट निवासी जबरासर तहसील नोहर।
   1/4. इन्दू देवी पुत्री लाधुराम जाति जाट निवासी जबरासर तहसील नोहर।
   1/5. शशी कुमार पुत्र लाधुराम जाति जाट निवासी जबरासर तहसील नोहर।
   1/6. माया देवी पुत्री लाधुराम जाति जाट निवासी जबरासर तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **सायल**
2. श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांक: 20/05/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा गोरखाना तहसील नोहर के खाता स0 237/235 के खसरा न0 210 की 6.700 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि प्रार्थी के पिता चेतराम पुत्र रामचन्द्र के नाम दर्ज थी तथा चेतराम के अपनी कोई संतान नही थी इसलिए चेतराम ने सामाजिक रूप से अपनी बहिन का पुत्र सहदेव को गोद लिया था तथा प्रार्थी ही चेतराम की सेवा चाकरी करता था। प्रार्थी सामाजिक रूप से चेतराम का खोलायत पुत्र था लेकिन अज्ञानता के कारण खोलानामा का कोई दस्तावेज तस्दीक नही करवाया गया जिसके कारण वादग्रस्त भूमि बाबत पारिवारिक समाज में पंच पंचायती समझौता किया जिसके मुताबिक सायल को चेतराम से मिलने वाली सम्पूर्ण भूमि गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज करवा दी तथा कहा की बाद में गैरसायल संख्या 1 उक्त भूमि सायल के नाम दर्ज करवा देगा। गैरसायल संख्या 1 का दौराने दावा देहांत हो चुका है एवं लाधुराम के वारिसो के मन मे लालच आ गया है एवं वाद भूमि को रहन, बैय करना चाहते है अगर गैरसायलान अपनी योजना मे कामयाब हो जाते है तो अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को होगी इसलि प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान को ताफैसला दावा अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:20:25 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजि[illegible] गया। रोही मौजा गोरखाना तहसील नोहर के खाता संख्या 237/235 [illegible] 6.700 हैक्ट भूमि की अस्थाई निषेधाज्ञा

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल न करे।

अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 की तरफ से श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश कर जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की उक्त वाद भूमि चेतराम पुत्र रामचन्द्र उर्फ मामचन्द के नाम दर्ज थी। चेतराम के निसंतान अवस्था में फौत होने पर उसके उत्तराधिकारी उसकी बहन किशनी व लाधुराम हुए तथा किशनी ने अपने 1/2 हिस्सा की भूमि की दस्बरदारी अपने भाई लाधुराम के पक्ष में दिनांक 10.10.2001 को सब रजिस्ट्रार नोहर से तस्दीक करवा दी थी एवं वाद भूमि के लाधुराम अकेले खातेदार काश्तकार हुए। चेतराम पुत्र रामचन्द्र उर्फ मामचन्द ने अपने जीवन काल में किसी को खोले नही लिया एवं चेतराम के जीवनकाल मे उसकी सेवा उसके भाई लाधुराम ने की थी। सायल हमेशा से ही अपने पिता बालुराम के पास रहा है तथा सालय का प्राकृतिक पिता बालुराम ही है। वाद भूमि पहले लाधुराम के कब्जा काश्त में थी एवं उनकी फौतदगी के बाद उनके वारिसान के कब्जा काश्त में है। उक्त वाद भूमि में प्रार्थी का कोई हक हिस्सा नही है अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी के पिता चेतराम पुत्र रामचन्द्र के नाम दर्ज थी तथा चेतराम के अपनी कोई संतान नही थी इसलिए चेतराम ने सामाजिक रूप से अपनी बहिन का पुत्र सहदेव को गोद लिया था तथा प्रार्थी ही चेतराम की सेवा चाकरी करता था। प्रार्थी सामाजिक रूप से चेतराम का खोलायत पुत्र था लेकिन प्रार्थी द्वारा अपने कथनों के संबंध में कोई साक्ष्य पेश नही किया गया है जिससे यह साबित हो की प्रार्थी चेतराम का खोलायत पुत्र था जबकि अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्बरदारी दिनांक 10.10.2001 के अनुसार उक्त वाद भूमि में से अपना 1/2 हिस्सा भूमि किशनी ने अपने भाई लाधुराम के पक्ष में त्याग दिया था।

उक्त विचेनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है क्योंकि प्रार्थी ने रजिस्टर्ड गोदनामा या अन्य कोई दस्तावेज पेश नही किया है जिससे यह साबित हो की प्रार्थी चेतराम का दत्तक पुत्र हो केवल कथन किया गया है जबकि अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार चेतराम के फौत होने के बाद उक्त वाद भूमि के हकदार लाधुराम व किशनी हुए तथा किशनी ने अपने हक हिस्सा की भूमि की दस्तबरदारी अपने भाई लाधुराम के पक्ष मे करवा दी थी उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:20:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

के पक्ष में सिद्ध होता है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित है अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 01.12.2023 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 20/05/24 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:20:25 IST
Reason: SelfAttested